(b) and (d). As a result of introduction of officer-orientation in the Works Division of the Ministry of W.H.&U.D. 18 Assistants, 2 UDCs and 6 LDCs had become surplus but all of them have since been absorbed.

(2) In April 1966 in order to adjust the surplus located by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance in the Office of the Chief Engineer, C.P.W.D., the Ministry of W.H. & U.D. reverted 3 Assistants and 9 UDCs to their respective posts of UDCs and LDCs. Some of them have since been re-promoted.

According to information available, 18 Assistants in the D.G.S.&D. and 6 UDCs in the Department of Agriculture are likely to become surplus in the near future. In case of officiating persons they may have to be reverted to their substantive posts, if necessary.

(3) Government have assured the representatives of Service Associations that, as far as possible, there will be no retrenchment of staff. But reversion of officiating persons to their substantive lower posts, whenever there is reduction in the number of posts is inevitable and such officiating promotions cannot always be protected.

विद्रोही मिजो लोगों द्वारा जबरदस्ती धन वसूली

*1621. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामसेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथियारों से लैस विद्रोही मिजो लोग असम के कचार जिले के हेलकांडी सब-डिवीजन में घुस आये हैं और वे ग्रामीणों से जबरदस्ती धन वसूल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ मिजो लोगों ने जो कचार जिले के हेलकान्डी उपखण्ड में घुस आये थे, कुछ गांवों से पांच अप्रैल, 1966 को जबरदस्ती गृह-कर वसूल किया।

(ख) सुरक्षा के प्रबन्ध बढ़ाये गये हैं और कछार जिले और मिजो पहाड़ियों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

बाड़मेर जिले के विस्थापित व्यक्ति

*1622. **श्री तन सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बाडमेर जिले के अल्पसंख्यक जाति के कितने व्यक्ति अपनी इच्छा से पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में चले गये थे अथवा जाने के लिये बाध्य किये गये थे ;

(ख) क्या सरकार के पास इस आशय का कोई सबूत है कि इन में से अनेक व्यक्ति आत्म-रक्षा के विचार से सीमा के दूसरी ओर गये थे ; और

(ग) निष्क्रमण करने वाले उक्त व्यक्तियों में से ऐसे लोगों को, जो भारतीय नागरिकता छोड़ना नहीं चाहते हैं, वापिस बुलाने तथा पुन : बसाने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार